न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
090/2021 (GCMS 2021/90)	**01.10.2021**	**13.04.2022**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री राधेश्याम पंचोली पुत्र श्री बाबूलाल पंचोली निवासी उदयपुर रोड़ निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (विक्रेता) मैसर्स वृन्दावन स्वीट्स, पंचोली चौराहा, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री बाबूलाल पंचोली पुत्र फूलचन्द पंचोली निवासी उदयपुर रोड़ निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (फर्म मालिक) मैसर्स वृन्दावन स्वीट्स, पंचोली चौराहा, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ **(नामतर्क)**

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 एवं 09.08.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Web Copy - Not Official

सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 522 दिनांक 10.07.2020 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2020 को समय 03.00 पी.एम. पर मैसर्स वृन्दावन स्वीट्स, पंचोली चौराहा, निम्बाहेड़ा पर पहुंचे। वहां पर श्री राधेश्याम पंचोली (विक्रेता) उपस्थित था। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया तथा विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में फ्रीज में एक थैली में खाद्य पदार्थ मावा लगभग 05 किलोग्राम रखा था। जिसका निरीक्षण करने एवं शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा मौके पर फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र होना बताया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं. 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मावा हिला–मिला कर 01 किलोग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर राशि 200/– रूपये नकद चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को 04 जारों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना भाग में प्रिजर्वेटिव फॉर्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह बंद कर 04 नमूना भाग तैयार किए तथा चार लेबल तैयार किए, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहीत अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक AM-1212 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील

Web Copy - Not Official

किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के डी. ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4517 दिनांक 04.11.2020 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट नम्बर एल.एस.193/एक्ट/2020/202 दिनांक 22.10.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा Substandards & Containing extraneous matters दर्शित किया गया। पत्र मय मूल पोस्टल रसीद, जांच रिपोर्ट एवं पत्र डिलीवरी की ऑनलाईन रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 4517 दिनांक 04.11.2020 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/2910 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया हैं, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने Substandards & Containing extraneous matters मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया हैं जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 डॉ. रामकेश गुर्जर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 4 गोपाल पंचोली पुत्र कन्हैयालाल पंचोली निवासी पेच तलाई, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. गजट नोटिफिकेशन एवं शुद्धि पत्र की छायाप्रति।
2. कार्यक्षैत्र सीमा का गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
3. पदस्थापन कार्यक्षैत्र आवंटन आदेश की छायाप्रति।
4. फार्म नम्बर 05 ए असल प्रति।
5. माल खरीद रसीद असल प्रति।
6. मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति।
7. विक्रेता द्वारा मौके पर पेश फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
8. फार्म नम्बर 06 असल प्रति।
9. खाद्य विश्लेषक उदयपुर में नमूना मय फार्म नं. 6 की जमा रसीद।
10. फार्म नं. 6 अलग से सील्ड लिफाफे में जमा रसीद फार्म नं. 6 की पुष्ट पर।
11. अभिहित अधिकारी को नमूना के **II, III, IV** भाग मय फार्म नं. 6 जमा की रसीद असल प्रति।
12. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) का पत्र मय मूल पोस्टल रसीद, जांच रिपोर्ट की प्रति एवं पत्र डिलीवरी की ऑनलाईन रिपोर्ट।
13. प्रकरण के मूल दस्तावेज जमा हेतु पत्र।
14. अभिहीत अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु लिखा पत्र।।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 10.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य राय चौधरी ने अधिकार पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 का सूचना पत्र का रजिस्टर्ड लिफाफा उसकी मृत्यु हो जाने की सूचना के साथ पुनः प्राप्त हुआ। इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता–पुत्र होकर एक ही फर्म से संबंधित हैं जिससे मृत्तक अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर प्रकरण से उसका नाम तर्क करने का आदेश प्रदान करावें। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने तथा उसका पुत्र प्रकरण में पूर्व में ही पक्षकार संयोजित होकर अप्रार्थी संख्या 1 होने से अप्रार्थी संख्या 2 का नाम तर्क करने के आदेश दिए गए, उसके पश्चात्

Web Copy - Not Official

अप्रार्थी संख्या 1 तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत हैं जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मावा का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती हैं, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता हैं कि उक्त कार्यवाही दिनांक 16.10.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 16.10.2020 से जाहिर होता हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1212** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 67 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1212** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 9 से होती हैं। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 10 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता हैं कि पत्रवाहक महेन्द्र सिंह द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 19.10.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन

Web Copy - Not Official

किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4517 दिनांक 04.11.2020 से अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 193/ACT/2020/202 Dated 22-10-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 193/ACT/2020/202 Dated 22-10-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 67 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 19.10.2020 से 22.10.2020 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Khoya (मावा) bearing code no. and serial no. AM-1212 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is sub-standard as Milk Fat (dry matter basis) minimum (m/m) % is does not meet as per the prescribed Standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006. The sample is Containing extraneous matters due to added sugar & carbonates. The sample is Containing extraneous matters under section 3(1)(i) of the Food safety and standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1212** मावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx) & 3(1)(i)** के तहत Substandards & Containing extraneous matters स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2020/4517 दिनांक 04.11.2020 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/2910 दिनांक 23.07.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 14 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय

Web Copy - Not Official

के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Substandards & Containing extraneous matters स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री राधेश्याम पिता बाबूलाल पंचोली मैसर्स वृन्दावन स्वीट्स, पंचोली चौराहा, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 एवं 54 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49, 51 एवं 54 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री राधेश्याम पिता बाबूलाल पंचोली मैसर्स वृन्दावन स्वीट्स, पंचोली चौराहा, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को रूपये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official